



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-16.07.2025

**कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 124/25 धारा 109/352/351(2) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित नामजद/वांछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 124/25 धारा 109/352/351(2) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित नामजद/वांछित बाल अपचारी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**घटना का विवरण:-** दिनांक 20.05.2025 को मुकदमा वादी उ0नि0 श्री बलवीर सिंह कोतवाली फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज करते हुये व जान से मारने की धमकी देते हुये पुलिस वालों के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के सम्बन्ध में कोतवाली फतेहगढ़ पर मु0अ0सं0 124/25 धारा 109/352/351(2) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट बनाम विनय आदि 07 नफर पंजीकृत कराया था। विवेचना के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा नामजद/वांछित बाल अपचारी को मुखविर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**बाल अपचारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 124/25 धारा 109/352/351(2) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 231/25 धारा 115/(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 बलवीर सिंह
2. हे0का0 कुलदीप कुमार

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**